## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 150] lo. 150]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 1, 2019/ फाल्गुन 10, 1940

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 1, 2019/ PHALGUNA 10, 1940

## कॉरपोरेट मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 मार्च, 2019

सा.का.नि. 170(अ)—केन्द्रीय सरकार, कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 (1980 का 56) की धारा 10ख की ाधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा कंपनी सचिव (निर्वाचन अधिकरण) नियम, 2006 के नियम 3 के ह । सरण में, जनवरी, 2019 में हुए भारतीय कंपनी सचिव संस्थान की परिषद् के निर्वाचन के मामले में उक्त अधिनियम की ध रा 10क से उद्भूत किसी विवाद का विनिश्चय करने हेतु निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर बने एक अधिकरण की

- सुश्री ज़ोया हड़के, अपर सचिव. विधि कार्य विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय, नई दिल्ली-110001
- श्री देवेन्द्र कुमार, सलाहकार (लागत) कारपोरेट कार्य मंत्रालय, पर्यावरण भवन, सीजीओ काम्पलैक्स. लोदी रोड. नई दिल्ली-110003

पीठासीन अधिकारी

सदस्य

श्रीमती गीता सिंह राठौर, (iii)

सदस्य

उप महानिदेशक, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, शास्त्री भवन नई दिल्ली-110001

2. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

> [फा. सं. 3/2/2019/पीआई] अनुराग अग्रवाल, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 1st March, 2019

G.S.R. 170(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 10B of the Company cretaries Act, 1980 (56 of 1980) and in pursuance of rule 3 of the Company Secretaries (Election Tribunal) Rules, 06, the Central Government hereby establishes a Tribunal consisting of the following persons to decide any dispute sing under section 10A of the said Act in the matter of election to the Council of the Institute of Company Secretaries Ms. Zoya Hadke,

Additional Secretary, Department of Legal Affairs, Ministry of Law and Justice, Shastri Bhawan, New Delhi-110001

Presiding Officer;

(ii) Shri Devender Kumar, Advisor (Cost), Ministry of Corporate Affairs, Paryavaran Bhawan, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi-110003

Member;

(iii) Smt. Geeta Singh Rathore, Deputy Director General, Ministry of Corporate Affiars, Shastri Bhawan, New Delhi-110001

Member.

This notification shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette. 2.

[F. No. . 3/2/2019-PI]

ANURAG AGARWAL, Jt. Secy.